परिशिष्ट

XI

भारत की ध्वज संहिता
(Flag Code of India)

राष्ट्रध्वज के प्रति लोगों में सार्वभौम लगाव और सम्मान, साथ ही निष्ठा की भावना होती है। फिर भी न केवल आम लोगों में बल्कि सरकारी संस्थाओं/अभिकरणों में भी राष्ट्रध्वज के प्रदर्शन से सम्बन्धित नियमों, प्रचलनों एवं परम्पराओं के बारे में जानकारी का अभाव दिखता है। समय-समय पर सरकार द्वारा जारी गैर-वैधानिक निर्देशों के अतिरिक्त, राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन 'प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 [Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950] ; तथा 'राष्ट्रीय गौरव के अनादर पर रोक अधिनियम, 1971 [Prevention of Insults to National Honour Act, 1971] के प्रावधानों से शासित होता है। भारत की ध्वज संहिता 2002 (The Flag code of India, 2002) ऐसे कानूनों, परम्पराओं, प्रचलनों एवं निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास है जिससे सभी सम्बन्धित लोगों को लाभ हो और मार्गदर्शन मिले।

सुविधा के लिए भारत की ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है। भाग-1 में राष्ट्र ध्वज से सम्बन्धित सामान्य विवरण दिए गए हैं। भाग-2 राष्ट्र ध्वज के सार्वजनिक निजी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं आदि से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित हो जाने के बारे में है। भाग-3 राष्ट्र ध्वज के केन्द्र एवं राज्य सरकारों, उनके संगठनों एवं अभिकरणों द्वारा प्रदर्शित किए जाने से सम्बन्धित है।

भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code India) के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता, 2002, 26 जनवरी 2002 से प्रभाव में आया।

भाग-I राष्ट्र ध्वज से सम्बन्धित सामान्य विवरण

1.1 राष्ट्र ध्वज तीन आयताकार पट्टियों अथवा समान चौड़ाई बाली 34 पट्टियों से बना एक तिरंगा पट्टा होगा। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की होगी तथा सबसे निचली पट्टी धानी (India green) रंग की होगी। बीच की पट्टी श्वेत रंग की होगी जिसके बीचो बीच गहरे नीले (navy blue) रंग में अशोक चक्र अंकित होगा जिसमें समान दूरी वाले 24 अर (spokes) होंगे। अशोक चक्र की या तो स्क्रीन प्रिन्टिंग की गई होगी या उसकी कशीदेकारी की गई होगी, जो ध्वज के दोनों ओर से श्वेत पट्टी के बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

1.2 भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए अथवा हाथ से बुने गए ऊनी/सूती/रेशमी खादी के कपड़े से बना होगा।।

1.3 राष्ट्र ध्वज का आकार आयताकार होगा, और उसकी लंबाई और ऊँचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3: 2 होगा।

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित होंगे-

झंडे की आकार संख्या (वर्ग)	मिलीमीटर में माप
1	6300 × 4200
2	3600 × 2400
3	2700 × 1800
4	1800 × 1200
5	1350 × 900
6	900 × 600
7	450 × 300
8	225 × 150
9	150 × 100

1.5 लहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाएगा। 450 × 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अति गण्यमान्य (महत्वपूर्ण) व्यक्तियों को ले जाने वाले विमानों के लिए; 225 × 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटरकारों तथा 150 × 100 मिलीमीटर के झंडे मेजों के लिए होते हैं।

भाग–II— आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना/प्रदर्शन/उपयोग

धारा-1

2.1 आम जनता, गैर सरकारी संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा सिवाय प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में प्रावधान किए गए प्रतिबंध के। उपरोक्त अधिनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा।

(i) झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होगा,

(ii) झंडे को किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झुकाया नहीं जाएगा।

(iii) झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा सिवाय उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों।

(iv) किसी भी रूप में झंडे को लपेटने के काम में नहीं लाया जाएगा - निजी शवयात्रा भी इसमें सम्मिलित है।

(v) किसी प्रकार की पोशाक अथवा वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, साथ ही तकियों, रूमालों, नैपकिनों अथवा वस्त्र सामग्री पर इसकी कढ़ाई अथवा मुद्रण नहीं किया जाएगा।

(vi) झंडे पर कोई अक्षर नहीं लिखे जाएँगे।

(vii) झंडे को कोई वस्तु प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(viii) किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ, पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा; इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ix) झंडे का प्रयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा, न ही वक्ता के मंच की सज्जा के लिए किया जाएगा।

(x) झंडे को सचेतन रूप से जान बूझकर जमीन अथवा फर्श स्पर्श करने अथवा पानी लिथड़ने नहीं दिया जाएगा।

(xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की टोपदार छत, ऊपर, अगल-बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।

(xii) झंडे का प्रयोग किसी भवन में परदा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा, तथा

(xiii) झंडे को जानबूझकर 'केसरिया' रंग को नीचे करके नहीं फहराया जाएगा।

2.2 जनता का कोई भी व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन अथवा शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं का अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है। राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा रखने और सम्मान देने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा–

(i) राष्ट्रीय झंडा फहराते समय उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

(ii) फटा हुआ या मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(iii) झंडे को एक ही ध्वज दंड से अन्य झंडे या झंडों के साथ नहीं फहराया जाए।

(iv) संहिता के भाग III की धारा IX में की गई व्यवस्था के अलावा झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा।

(v) झंडे का प्रदर्शन किसी सभा मंच पर किए जाने की स्थिति में उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता श्रोताओं की ओर उन्मुख हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर हो, अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए।

(vi) जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे, लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लम्बाई में फहराया जाए तो कसरिया भाग झंडे के हिसाब से दाहिनी ओर होगा (अर्थात झंडे को देखने वाले व्यक्ति की बायीं ओर)

(vii) जहाँ तक संभव हो झंडे का आकार इस संहिता के भाग-1 में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

(viii) किसी दूसरे झंडे या पताकार को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए, न ही फूल, माला, प्रतीक या कोई अन्य वस्तु उसके ध्वज दंड के ऊपर रखी जाए।

(ix) पुष्प-गुच्छ का पताका या बंदनवार बनाने या किसी अन्य प्रकार की सजावट के लिए झंडे का उपयोग नहीं होगा।

(x) जनता द्वारा कागज के बनाए झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। परंतु कागज के ऐसे झंडों को समारोह के समापन के पश्चात न तो विकृत किया जाएगा, न ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहाँ तक संभव हो, ऐसे झंडों का निपटान अलग से एकांत में मर्यादा के अनुसार किया जाना चाहिए।

(xi) झंडे का प्रदर्शन खुली जगह में किए जाने पर मौसम को ध्यान में रखते हुए उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए।

(xii) झंडे को किसी भी प्रकार से बांधा या फहराया जा सकता है जिस तरीके से उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो।

(xiii) झंडा मैला होने या फट जाने की स्थिति में उसे एकांत में पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। बेहतर होगा यदि जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल अन्य तरीके से नष्ट किया जाए।

धारा-II

2.3 शिक्षा संस्थाओं (स्कूल, कॉलेज, खेल शिविर, स्काउट शिविर आदि) में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए ताकि झंडे का सम्मान करने की प्रेरणा दी जा सके। मार्गदर्शन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाए:

(i) स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठा होकर एक खुला वर्गाकार बनाएँगे। इस वर्ग में तीन तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडा फहराने वाला व्यक्ति (यदि वह प्रधानाध्यापक के अलावा कोई अन्य हो) झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे।

(ii) छात्र कक्षा क्रम से दस-दस के दल में (अथवा कुल संख्या के अनुसार, किसी दूसरे हिसाब से) खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति में दाहिनी ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से तीन कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएँ वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी होंगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाहिनी ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम में अन्य कक्षाएँ खड़ी होंगी।

(iii) प्रत्येक पंक्ति के बीच कम से कम एक कदम (30 इंच) की दूरी होगी और हर कक्षा के बीच में भी समान दूरी होनी चाहिए।

(iv) जब हर कक्षा तैयार हो जाए तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र-नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएँ तैयार हो जाएँ तो स्कूल का छात्र-नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा।

प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा फहराया जाएगा। इस क्रिया में स्कूल का छात्र-नेता सहायता कर सकता है।

(v) स्कूल का छात्र नेता जिसे परेड या सभा का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान (अटेंशन) करेगा और झंडे के फहराने पर परेड को झंडे की सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी और फिर 'कमान' आदेश पाने पर सावधान (अटेंशन) की अवस्था में आ जाएगी।

(vi) झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा। इस कार्य-क्रम के दौरान परेड सावधान की अवस्था में रहेगी।

(vii) शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्रगान के बाद ली जाएगी। शपथ लेने के समय सभा सावधान की अवस्था में खड़ी रहेगी। प्रधानाध्यापक शपथ पढ़ेंगे और सभा उसको दोहराएगी,

(viii) स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी-

सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और निम्नलिखित शपथ दोहराएँगे-

''मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता/लेती हूँ जिसका यह झंडा प्रतीक है।''

भाग-III केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन

धारा-1 - रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा तथा दूतावासों/कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा झंडा फहराया जाना

3.1 राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए जिन रक्षा प्रतिष्ठानों में अपने नियम हैं, उनपर इस भाग में निर्दिष्ट व्यवस्था लागू नहीं होगी।

3.2 राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों/कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के आवासों पर भी फहराया जा सकता है जहाँ राजनयिक और काउन्सुलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालय तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडों को फहराए जाने का प्रचलन है।

धारा-2 झंडे को सरकारी तौर पर फहराया जाना

3.3 उपरोक्त धारा 1 में उल्लिखित व्यवस्था के अध्याधीन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में की गई व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.4 सरकारी तौर पर झंडा फहराए जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिसपर ब्यूरो का मानक चिह्न लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी समुचित आकार के ऐसे ही झंडे फहराना वांछनीय होगा।

धारा-III झंडा फहराने का सही तरीका

3.5 जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

3.6 यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर यह रविवार और छुट्टियों में भी सब दिन फहराया जाएगा, और इस संहिता में दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो। ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता किन्तु ऐसा केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाना चाहिए।

3.7 झंडे को सदा स्फूर्ति व उत्साह से फहराया जाए एवं धीरे-धीरे और सम्मान के साथ उतारा जाए। जब झंडे को फहराने-उतारने के समय बिगुल बजाया जाता हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए।

3.8 जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरिया पट्टी सबसे दूर वाले सिरे पर होगी।

3.9 जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे आड़ा या चौड़ाई में किया जाता है तो केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होगी और जब झंडा लम्बाई में फहराया जाए तो

केसरिया पट्टी झंडे के हिसाब से दाहिनी ओर होगी अर्थात वह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति की बायीं ओर होगी।

3.10 यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुँह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिनी ओर हो, अथवा झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ा फहराया जाए।

3.11 किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

3.12 जब झंडा किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचो-बीच या कार के आगे दाहिने ओर कसकर लगाए हुए एक डंडे (स्टाफ) पर फहराया जाए।

3.13 जब झंडा किसी जुलूस पर परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाहिनी ओर अर्थात झंडे के भी दाहिनी ओर रहेगा, या यदि दूसरे झंडों की भी कोई लाइन हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लाइन के मध्य में आगे होगा।

धारा-IV झंडा फहराने के गलत तरीके

3.14 फटा या मैला-कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.15 किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।

3.16 किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, और आगे बताई व्यवस्था को छोड़कर, राष्ट्रीय झंडे की बराबरी में भी नहीं रखा जाएगा, न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है।

3.17 पुष्प गुच्छ या झंडियाँ या बन्दनवार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

3.18 झंडे का प्रयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए, न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा।

3.19 'केसरिया' पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.20 झंडे को जमीन, या फर्श छूने या पानी में लिथड़ने नहीं दिया जाएगा।

3.21 झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर नहीं किया जाएगा जिससे कि वह फट जाए।

धारा-V झंडे का दुरुपयोग

3.22 राजकीय/सैन्य/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक दलों से सम्बन्धित शवयात्राओं, जिनके सम्बन्ध में आगे व्यवस्था की गई है, को मोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.23 झंडे को वाहन, रेलगाड़ी अथवा नाव की टोपीदार छत, बगल अथवा पिछले भाग को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।

3.24 झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि वह फट जाए या मैला हो जाए।

3.25 जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए, तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही अनादरपूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

3.26 झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.27 किसी पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गद्दियों, रुमालों, बक्सों अथवा नैपकिनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा।

3.28 झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएँगे।

3.29 किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उस डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा जिसपर कि झंडा फहराया जा रहा हो।

3.30 झंडे का किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

लेकिन विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के एक अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा VI : झंडे को सलामी

3.31 झंडे को फहराने अथवा उतारने के समय अथवा तब जबकि झंडा किसी परेड में गुजर रहा हो अथवा उसका निरीक्षण किया जा रहा हो सभी उपस्थित लोग झंडे के सम्मुख होंगे तथा सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। जो लोग वर्दी में हैं वह झंडे को समुचित सलामी देंगे। जब झंडा किसी चलायमान कॉलम में हो तो तब जो लोग उपस्थित हैं वे सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे तथा झंडा जैसे ही गुजरता है उसे सलामी देंगे। कोई गणमान्य व्यक्ति सलामी ले सकता है लेकिन बिना किसी हेड ड्रेस (Head Dress) के।

धारा VII : अन्य राष्ट्रों तथा संयुक्त राष्ट्र के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन

3.32 जब झंडे को अन्य देशों के झंडे के साथ एक सीधी लाइन में प्रदर्शित किया जाता है तब राष्ट्रीय झंडा सबसे दाहिनी ओर होगा अर्थात कोई प्रेक्षक अगर झंडों की पंक्ति के सामने ठीक बीचो-बीच बैठा है और उसका मुख श्रोताओं की ओर है तो राष्ट्रीय झंडा उसके सबसे दाहिनी ओर होगा।

3.33 दूसरे देशों के झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाद संबंधित देशों के नामों के अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर वर्णानुक्रम से प्रदर्शित किए जाएँगे। इस स्थिति में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरुआत अथवा अंत में तथा सामान्य देशवार (वर्णानुक्रम के अनुसार) भी प्रदर्शित किए जाने की स्वीकृति होगी। राष्ट्रीय झंडा को सबसे पहले फहराया जाएगा तथा सबसे अंत में उतारा जाएगा।

3.34 यदि झंडों को किसी खुले घेरे में अर्थात एक अर्धवृत में फहराना है तब उस स्थिति में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जैसा कि इस धारा के पूर्ववर्ती उप धारा में उल्लेख किया गया है। यदि झंडों को एक पूर्ण वृत्त में फहराना है तब राष्ट्रीय झंडा वृत्त के आरंभ को चिन्हित करेगा और अन्य देशों के झंडे घड़ी की सूई के क्रम में फहराए जाएँगे जब तक कि अंतिम झंडा राष्ट्रीय झंडा के बगल में नहीं लग जाता। यह आवश्यक नहीं कि वृत्त के आरम्भ तथा अन्त को चिन्हित करने के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय झंडों का इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय झंडा इस प्रकार के पूर्ण अथवा बंद वृत्त के वर्णानुक्रम के अनुसार भी प्रदर्शित किया जाएगा।

3.35 जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवाल पर दो ऐसे डंडों पर फहराए जाए जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हों तो राष्ट्रीय झंडा दाहिनी ओर अर्थात झंडे की अपने दाहिनी ओर होगा और उसका डंडा दूसरे डंडे के ऊपर होगा।

3.36 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का डंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी ओर भी लगाया जा सकता है। सामान्यत: राष्ट्रीय डंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाएँ ओर होता है (अर्थात झंडा फहराने के समय डंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बायीं ओर)।

3.37 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ फहराया जाए तब सारे झंडों के ध्वजदंड समान आकार के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शांतिकाल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊँचा नहीं फहराया जा सकता।

3.38 राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वजदंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग-अलग झंडों के लिए अलग-अलग ध्वज दंड होंगे।

धारा VIII : सरकारी भवनों एवं आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना

3.39 सामान्यत: उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों के कार्यालयों, कचहरियों, जेलों तथा जिला बोर्ड के कार्यालयों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय/सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराया जाना चाहिए।

3.40 सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा-शुल्क चौकियों, जाँच चौकियों, सीमा चौकियों और अन्य ऐसी खास जगहों पर जहाँ कि झंडा फहराने का विशेष महत्व है राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती गश्तीदलों के शिविरों पर भी झंडा फहराया जा सकता है।

3.41 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल जब अपने मुख्यालय में हों तो उनके सरकारी आवासों पर और जब वे अपने मुख्यालय से बाहर दौरों पर हों तो जिन भवनों में वे निवास करें उनपर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गण्यमान्य व्यक्ति के मुख्यालय

से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उक्त भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा पुनः फहरा दिया जाना चाहिए। जब गण्यमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हों तो जिस भवन में वे निवास करें उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए। और जब वे उस स्थान से बाहर जाएँ तब राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। तथापि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गाँधी जयन्ती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जालियाँवाला बाग के शहीदों की स्मृति में) भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगाँठ के अवसर पर उक्त सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, भले ही गण्यमान्य व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में उपस्थित हों या न हों।

3.42 जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं तो उस संस्था द्वारा उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

3.43 जब विदेश का कोई गण्यमान्य व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सम्राट, राजा, उत्तराधिकारी, युवराज या प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हो और इस दौरान कोई संस्था उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करती है तो उस संस्था द्वारा धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ-साथ फहराया जाएगा। यदि वह गण्यमान्य व्यक्ति उसी दिन किसी सरकारी भवन का भी दौरा करना चाहे जिस दिन वह उक्त संस्था में आए हो तो उन सरकारी भवनों पर भी धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ-साथ फहराया जाएगा।

धारा IX : मोटरकारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.44 मोटरकारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्तियों को ही है:

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. राज्यपाल और उप-राज्यपाल
4. विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष
5. प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्री, केन्द्र के राज्य मंत्री और उपमंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री। राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उपमंत्री।
6. लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के उप सभापति, सभा के लोकसभा के उपाध्यक्ष राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के उपसभापति, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष
7. भारत के मुख्य न्यायाधीश
   उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
   उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
   उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

3.45 पैरा 3.44 के खंड (5) से (7) तक में उल्लिखित गण्यमान्य व्यक्ति जब कभी आवश्यक या उचित समझें अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं।

3.46 जब कोई विदेशी गण्यमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाहिनी ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार की बायीं ओर लगाया जाएगा।

धारा X : रेलगाड़ियों और वायुयानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.47 जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है वहाँ ड्राइवर की केबिन पर प्लेटफार्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगाए रखा जाएगा जब तक की गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झंडा तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गन्तव्य स्टेशन पहुँच गई हो।

3.48 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वे यात्रा कर रहे हों। जिस देश की यात्रा की जा

रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ-साथ लगाया जाना चाहिए, परंतु मार्ग में जिन-जिन देशों में वह विमान से उतरे शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएँ।

3.49 जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएँ तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाए जिस ओर से राष्ट्रपति विमान में चढ़ें या उससे उतरें।

धारा XI : झंडे को आधा झुकाना

3.50 निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्तियों में किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम के सामने उल्लिखित स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाएगा।

गण्यमान्य व्यक्ति	स्थान
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री	समस्त भारत
लोकसभा अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश	दिल्ली
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री	दिल्ली तथा राज्यों की राजधानी
संघ के राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री	दिल्ली
राज्यपाल उपराज्यपाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री संघ शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री	संबंधित समस्त राज्य या संघ शासित क्षेत्र
किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री	संबंधित राज्य की राजधानी

3.51 यदि किसी गण्यमान्य व्यक्ति के निधन की सूचना अपराह्न में प्राप्त होती है तो ऊपर बताए गए स्थान या स्थानों पर अगले दिन भी झंडा आधा झुका दिया जाएगा। बशर्ते कि उक्त दिन सूर्योदय अंत्येष्टि न हुई हो।

3.52 ऊपर उल्लिखित गण्यमान्य व्यक्ति की अंत्येष्टि के दिन उस स्थान पर झंडा आधा झुका दिया जाएगा जहाँ अंत्येष्टि की जाती है।

3.53 यदि किसी गण्यमान्य व्यक्ति के निधन पर राजकीय शोक मनाया जाता है तो केन्द्रीय गण्यमान्य व्यक्ति के मामले में समस्त भारत में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के गण्यमान्य व्यक्ति के मामले में पूरे राज्य या पूरे संघ शासित क्षेत्र में शोकावधि के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा।

3.54 किसी विदेशी गण्यमान्य व्यक्ति के निधन होने पर झंडे को आधा झुकाए जाने और जहाँ आवश्यक हो राजकीय शोक मनाए जाने के संबंध में ऐसे विशेष अनुदेश लागू होंगे जो कि अलग-अलग मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएँगे।

3.55 ऊपर बताई गई व्यवस्थाओं के बावजूद यदि झंडे को आधा झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (06 से 13 अप्रैल तक जालियाँवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास का कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राजा के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगाँठ का दिन एक साथ पड़ते हैं तो उस भवन को छोड़कर जहाँ दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है अन्य स्थानों पर झंडा नहीं झुकाया जाएगा और उस भवन में भी जहाँ दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है उस समय तक ही झंडा झुका रहेगा जब तक कि दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर वहाँ से उठाया नहीं जाता। दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर उठाए जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा पूरी तरह फहरा दिया जाएगा।

3.56 यदि झंडा ले जा रही परेड या जुलूस के रूप में शोक मानाया जाता है तो आगे काले कपड़े (क्रेप) की दो पट्टियों लगा दी जाएगी जो कि स्वाभाविक रूप से लटकी रहेंगी। इस प्रकार से काले कपड़े का प्रयोग सरकार के आदेश से ही किया जा सकेगा।

3.57 जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊँचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई स्थिति में उतारा जाए किन्तु दिन-भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर पूरी ऊँचाई तक उठाया जाए।

टिप्पणी: झंडा आधा झुकाए जाने से तात्पर्य है झंडे को चोरी तथा ''गाई लाइन'' के बीच आधे तक नीचे लाया जाना और गाई लाइन न होने की अवस्था में झंडे को डंडे के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।

3.58 राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झंडे से ढँक दी जाएगी और झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।

3.59 किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में प्रत्याभित भारतीय

दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है। चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (06 से 13 अप्रैल तक जालियाँबाला बाग के शहीदों की स्मृति में) अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो। उस देश के किसी अन्य गण्यमान्य व्यक्ति के निधन होने पर भारतीय दूतावास को डंडा नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि वहाँ की स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार (जिसका पता, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, राजनयिक कोर के अधिष्ठाता डीन ऑफ द डिप्लोमैटिक कोर से लगाया जाना चाहिए।) के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।